बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना हेतु स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं से ऑनलाईन आवेदन के संबंध में

राज्य के अंगीभूत एवं सरकार से मान्यता प्राप्त संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों/तकनीकी संस्थानों से दिनांक 25.04.2018 से 31.03.2021 तक स्नातक/समकक्ष उत्तीर्ण वैसे छात्राएँ, जो किसी कारण से ई–कल्याण पोर्टल पर आवेदन नहीं कर पायी है, वैसे छात्राओं को प्रोत्साहन भत्ता के रूप में एकमुश्त रू0 25,000/– (पच्चीस हजार) मात्र दिये जाने हेतु पोर्टल **medhasoft.bih.nic.in** के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना :– मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना 2019/2020 के **Link 1** एवं **Link 2** पर आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन की अंतिम तिथि 30.06.2023 तक निर्धारित है। आवेदन की शर्त्तें:–

1. बिहार राज्य के स्थायी निवासी हो।
2. इस श्रेणी में दिनांक 25.04.2018 से दिनांक 31.03.2021 तक राज्य के अंगीभूत एवं सरकार से मान्यता प्राप्त संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों/तकनीकी संस्थानों से स्नातक/समकक्ष उत्तीर्ण वैसे छात्राएँ, जो पूर्व में ई–कल्याण पोर्टल पर आवेदन नहीं की है, वे आवेदन दे सकती हैं।
3. यदि पात्र लाभूक दिनांक 30.06.2023 तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करते है, तो यह समझा जाएगा कि वे योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक नहीं है तथा दिनांक 30.06.2023 के पश्चात् उन्हे अलग से मौका नहीं दिया जाएगा।
4. योजना से संबंधित विस्तृत निर्देश विभागीय वेबसाईट **educationbihar.gov.in** पर देखा जा सकता है।
5. तकनीकी सहायता के लिए मो0 न0 9534547098, 8986294256 एवं ई–मेल **mkuysnatakhelp@gmail.com** पर सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

06.06.23

(रेखा कुमारी)
निदेशक, उच्च शिक्षा